जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 रियोजना का नामः के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

### Task Force Certificate

i) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and

Il method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided. ii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice

f Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for

v) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential

e made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred. part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also equired to be taken by ground engineer during the process of road construction for ninimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken

) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and ave been identified as :eavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent

i) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be rilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and he existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and are be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in oad. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline ispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock

tratum as a result of the blasting process.

iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the echniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. ike simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most ppropriate preventive measure in many situations. This should be established in he denuded slopes immediately after the excavation is made.

iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch vater drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast

growing shrubs and plants. In

v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads, these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

JiE quillo

MIE

Executive Engineer Electy. 400 K.V S/S Division U.P.P.C.L. Jolly Road 文型版稿



## ारियोजना का नामः – जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 केoवीo डबल सर्किट विष्णु प्रयाग-मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

## मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की 2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा

4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा

5 प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी

6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी

- की देख-रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख-रखाव किया जायेगा। 7. हस्तान्तरित् वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता
- बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन् जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद

9. सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क

10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि खतः विना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।

11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लोठनिठविठ द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लोठनिठविठ को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गो का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।

12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान वाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

13. वन भूमि पर खुड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा। 14. हस्तान्तरित भूमि पर पडने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समृतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होन पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाटा पर खडे

वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू—संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।

17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्ते लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा। 18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी

द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्ते प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

J. E. grown VMTL

A.E

Executive Engineer Electy. 400 K.V S/S Division L.P.P.C.L. Jolly Road Mu<del>za tarn</del>agar

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग-मुजफ्फर्नगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 परियोजना का नामः के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

grover sic VMTU

श्रीनगर गढ़वाल A · 🤄 उपजिलाधि**कारी** 

**尼**xecutive Engineer Electy 490 K.V S/S Division प्रयामित्र a Harmaga

> राजस्य उप निरीक्षक HIR Organy तहसील-धीववर जिला-पीडी गुव्याल

egitteres recev ्राह्मका व

जिलाधिकारी

00

0.0 7.0

00.6

00:0

#### प्रारुप-38

रेयोजना का नामः – जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग–मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

# वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य / रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों / स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

Sacherdans Troit

J.E Troit

quo perole

VMTL

A.E

Executive Engineer Electy. 400 KV S/S Division U.P.P.C.L. Jolly Road Muzaffarmanar प्रयोक्ता एजें सी 0 0000000

.00

00.00

0.00

0.00

20.00 87.00 9.00

00.00